



भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, एम.जी.रोड, डाक थैला सं 5607,
तिरुवनंतपुरम - 695 039
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, M.G. ROAD, P.B. NO. 5607
THIRUVANANTHAPURAM - 695 039

सं/No. .P.19/II/DRSSA-115/UP/ 2018-19

दिनांक / Date 08/10/2018.....

To

All District/ Sub Treasury Officers

Sir,

Sub:Payment of Dearness Allowance @139% of Basic Pay w.e.f. 01/07/2017 to the employees of the State and aided educational & technical educational institutions and urban local bodies of Uttar Pradesh State Government.

Ref: 1.SSA No. Pension (Misc)/ Dearness Relief?AG-167/1360 dated 30/08/2018 of the office of the Accountant General (A&E)-II,Uttar Pradesh.
2.Letter No. 10/2017-P.C-1-791/X-2017-8(M)/2016 dated 12/12/2017 from the Secretary, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh which encloses a letter from the Secretary, Government of Uttar Pradesh regarding the Payment of Dearness Allowance @139% of the Basic Pay w.e.f. 01/07/2017 to the Uttar Pradesh employees of the State and aided educational & technical & educational institutions and urban local bodies . The same is being placed in the official website of the office (www.agker.cag.gov.in) under the link "**Treasury endorsement of orders for other state pensioners**". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

Pg/1/DRSJA/NS
12/09/2018

PM/2/407/2018-19.
10/9/18

PM
228145
6/9/18



By Speed Post

Office of the Accountant General (A&E)-II,UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/AG-167/1360 Dated: 30/08/2018

To,

Accountant General (A&E),

Kerala, M.G. Road.....

Thiruvananthapuram - 695001

Subject:- Grant of Dearness Relief to state Government's civil / Family pensioners.

I am forwarding herewith copy of office G.O. No. 10/2017-वे0आ0-1-791/दस-2017-8(एम)/2016 dt. 12.12.2017 of U.P. govt. Lucknow on the subject cited above for necessary action please.

Encl:- As stated above

Yours Faithfully,


Accounts Officer

To -
P19

11/10/18
ABO/PM

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
- (3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- (6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
- (7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 12 दिसम्बर, 2017

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति, 30प्र0 (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2017 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित

- (1) शासनादेश संख्या-04/2017-वे0आ0-1-466/दस-2017-08(एम)/2016, दिनांक 13 जुलाई, 2017
- (2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय जापन-संख्या-1/3/2008-ई-11(बी), दिनांक 26 सितम्बर, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-04/2017-वे0आ0-1-466/दस-2017-08(एम)/2016, दिनांक 13 जुलाई, 2017 के क्रम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

में राज्यपाल महोदय प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू नहीं है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित नहीं हुये हैं को संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2017 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

तिथि जब से देय है

महंगाई भत्ते की मासिक दर

01-07-2017

मूल वेतन का 139 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में वेतन तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात् प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

4- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

